न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या
41/19

तारीख दायरा
02.04.2019

तारीख फैसला
22/10/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

लोकेश आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद जिला कोटा
– वादी

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज धन्नालाल जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद जिला कोटा
2. मुकेश आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद जिला कोटा
3. मनीष आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद जिला कोटा
4. मंगलेश आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरूला तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 प्रतिवादी नं0 1 की संतान है। प्रतिवादी नं0 1 के खातें व कब्जें काश्त की आराजी ग्राम खैरूला तहसील दीगोद में ख0नं0 117 रकबा 0.86 हे0, ख0नं0 121 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 235 रकबा 1.06 हे0, ख0नं0 449 रकबा 1.38 हे0, ख0नं0 477 रकबा 1.53 हे0 कुल किता 5 रकबा 5.13 हे0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम खैरूला तहसील दीगोद स्थित उपरोक्त भूमि पुश्तेनी भूमि है, जो प्रतिवादी नं0 1 को विरासत में अपनें पिता धन्नालाल से प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का जन्म से हिस्सा निहित है तथा उक्त भूमि में वादी अपनें निहित हिस्से के सहखातेदार घोषित होनें का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 अपनी खातेदारी की उक्त भूमि को अन्य व्यक्तियों के बहकावें में आकर खुर्द बुर्द करनें एवं वादी को उक्त भूमि से वंचित करनें पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को विधिक अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय की सहायता से उपरोक्त वर्णित भूमि में निहित अपनें हिस्से 1/5 का सहखातेदार घोषित करवा सके। वाद कारण दिनांक 20/03/2019 को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी को

Scanned by CamScanner

सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज करवानें से मना करनें एवं प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द रहन, बैचान करनें की धमकी देनें से उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम खैरूला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 117 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 121 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 449 रकबा 1.38 है0, ख0नं0 477 रकबा 1.53 है0 कुल किता 5 रकबा 5.13 है0 भूमि में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 प्रत्येक को भी 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 5 को निर्देशित किया जावें कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खैरूला सं0 2071–74 खाता नं0 112

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादी की पहचान वकील श्री रामप्रसाद शर्मा व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की पहचान वकील श्री जितेन्द्र शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2071–74 खाता नं0 112 के अनुसार विवादित आराजीयात् का प्रतिवादी नं0 1 बावूलाल पुत्र धन्नालाल जाति धाकड खातेदार राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 ता 4, बावूलाल की संतान है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान की है।

चूंकि प्रकरण पिता एवं पुत्र के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वादी अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें का अधिकारी है।

Scanned by CamScanner

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खैरूला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 117 रकबा 0.86 हे0, ख0नं0 121 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 235 रकबा 1.06 हे0, ख0नं0 449 रकबा 1.38 हे0, ख0नं0 477 रकबा 1.53 हे0 कुल किता 5 रकबा 5.13 हे0 भूमि में वादी को 1/5 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 22/10/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

लोकेश आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरुला तहसील दीगोद जिला कोटा
– वादी

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज धन्नालाल जाति धाकड निवासी खैरुला तहसील दीगोद जिला कोटा
2. मुकेश आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरुला तहसील दीगोद जिला कोटा
3. मनीष आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरुला तहसील दीगोद जिला कोटा
4. मंगलेश आत्मज बाबूलाल जाति धाकड निवासी खैरुला तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–41/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम खैरुला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 117 रकबा 0.86 हे0, ख0नं0 121 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 235 रकबा 1.06 हे0, ख0नं0 449 रकबा 1.38 हे0, ख0नं0 477 रकबा 1.53 हे0 कुल किता 5 रकबा 5.13 हे0 भूमि में वादी को 1/5 तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्से का खातेंदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 22/10/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner